Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 294 / 2026

श्री बिशन सिंह, पुत्र श्री नर सिंह, — वादी
ग्राम– टकोली, पो0ऑ0–लमगड़ा,
जिला– अल्मोड़ा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा।

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर12157006160 के सापेक्ष एक साल का बिल रू0 16,000 प्राप्त हुआ हैं जो कि बहुत अधिक है और जिसकी वजह से उनकी बिजली फरवरी माह में काट दी गयी थी। उन्होने यह भी बताया कि विगत में उनका बिल प्रतिमाह रू0 150–200 आता था और उनका मीटर जनवरी 2026 को बदला गया था.।

उन्होने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1158 दिनांक 05.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2026 तथा 06.04.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित निर्गत किये गये हैं तथा सही हैं। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 नियत की गयी थी। विभाग को कहा गया था कि वह खराब मापक को बदलने के पश्चात बिलों का पुनः निरीक्षण करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से श्री बिशन सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के निर्गत बिल रू0 19421 को संशोधित किया कर दिया गया है और अब यह बिल रू0 6,000 का बना है। वादी का कहना था कि उन्होने फरवरी 2026 में रू0 5,000 का भुगतान किया था जिसको संज्ञान में लिया जाए। विभाग को निर्देशित गया गया था कि वह उपरोक्त भुगतान को संज्ञान में लेते हुए नेट बिल 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 28.05.2026 नियत की गयी थी।

17/06/26 Tewari

4.मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 28.05.2026 में वादी की तरफ से श्री बिशन सिंह उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से, दिनांक 28.05.2026 को, ईद का अवकाश घोषित होने की वजह से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

विभाग को पिछली सुनवायी तिथि 30.04.2026 में नेट बिल प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था जो कि प्रतिक्षित है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.06.2026 से पहले वादी का नेट बिल प्रेषित करें। वादी ने कहा था कि वह बहुत दूर से आते है, अतः उनकी सुनवायी उनके फोन नं0 9837278496 पर वी/सी के माध्यम से की जाए जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया था।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9837278496 पर बात की गयी। वादी ने बताया कि उन्होने विभाग द्वारा संशोधित रू0 6,000 के बिल में से फरवरी 2026 में रू0 5,000 जमा कर दिये थे। मंच की सुनवायी में उपस्थित श्री संतोष अग्रवाल, उपखंड अधिकारी, प्रथम अल्मोड़ा को कहा जाता है कि वादी को निर्गत बिल रू0 19,421 से संशोधित होकर रू0 6,000 में से वादी द्वारा जमा किये गये रू0 5,000 का संज्ञान लें, यदि यह पहले नहीं लिया गया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह नेट देय बिल 07 दिनों के अंदर वादी के व्हा्टसएप नं0 9837278496 पर भेजना सुनिश्चित करें जिसे वादी द्वारा 15 दिन के अंदर जमा किया जाएगा।

आदेश

यह प्रकरण विभाग द्वारा निर्गत रू0 19,421 के गलत बिल से संबंधित है जिसे विभाग द्वारा संशोधित कर दिया गया है जो कि संशोधित होकर रू0 6,000 बना है। वादी का कहना है कि उन्होने विभाग द्वारा संशोधित रू0 6,000 के बिल में से फरवरी 2026 में रू0 5,000 का भुगतान किया था।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी को निर्गत बिल रू0 19,421 से संशोधित होकर रू0 6,000 में से, वादी द्वारा जमा किये गये रू0 5,000 का संज्ञान लें, यदि यह पहले नहीं लिया गया है।

विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह नेट देय बिल 07 दिनों के अंदर वादी के व्हा्टसएप नं0 9837278496 पर भेजना सुनिश्चित करें जिसे वादी द्वारा 15 दिन के अंदर जमा किया जाएगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.06.2026

17/06/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

17/6/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 314 / 2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
स्यालीधार
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116890692 के सापेक्ष 30.11.2025 से 31.12.2025 तक, रू0 9719 राशि की, पॉवर फैक्टर पैनल्टी लगायी गयी है जो कि गलत है। उन्होने उपरोक्त पैनल्टी को हटाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1244 दिनांक 18.05.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 28.05.2026 तथा 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संतोष अग्रवाल, उपखंड अधिकारी प्रथम अल्मोड़ा ने बताया कि यह प्रकरण दिनांक 30.11.2025 से 31.12.2025 तक, रू0 9719 एल.पी.एफ. सरचार्ज लगाने से संबंधित है, जिसकी आख्या तैयार की जा रही है।
विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह प्रकरण में बिलिंग हिस्ट्री के साथ विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी से वी / सी के माध्यम से सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संतोष अग्रवाल, उपखंड अधिकारी प्रथम अल्मोड़ा ने बताया कि वादी के बिल में दिनांक 30.11.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक, लगायी गयी लो पॉवर फैक्टर पैनल्टी रू0 9719 को हटा कर, उनके बिल में समायोजित कर दिया गया है और वादी इससे संतुष्ट है।

आदेश

यह प्रकरण वादी के बिल में, दिनांक 30.11.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक, लगायी गयी राशि रू0 9719 की लो पॉवर फैक्टर पैनल्टी से संबंधित है जिसे विभाग द्वारा हटा कर वादी के बिल में समायोजित कर दिया गया है और वादी इससे संतुष्ट है।

07/07/26 07/7/2026 Tewari

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 07.07.2026

07/07/26 07/7/2026

बी0 एस0 बिष्ट उपभोक्ता सदस्य	ओ0पी0 दीक्षित तकनीकी सदस्य	कु0 निर्मला तिवारी न्यायिक सदस्य